mygov
मेरी सरकार

कोविड-19 की रोकथाम हेतु धार्मिक स्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

(1/6)

धार्मिक स्थलों पर बचाव के उपाय होंगे सुनिश्चित

प्रवेश द्वार पर हाथ की स्वच्छता (सैनिटाइज़र डिस्पेंसर) और थर्मल स्क्रीनिंग की अनिवार्य रूप से व्यवस्था की जानी चाहिए

परिसर में केवल लक्षणविहीन व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए

बिना फेस कवर/मास्क के व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए

कोविड-19 से संबंधित निवारक उपायों पर पोस्टर को प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए

कोविड-19 से संबंधित निवारक उपायों पर ऑडियो और वीडियो क्लिप नियमित रूप से चलाए जाएं

यदि संभव हो तो आगंतुकों को क्रमबद्ध अलग-अलग जाने की व्यवस्था करें

mygov
मेरी सरकार

कोविड-19 की रोकथाम हेतु धार्मिक स्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

(2/6)

धार्मिक स्थलों पर बचाव के उपाय होंगे सुनिश्चित

जूते-चप्पलों को अपने वाहन में उतार दिया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग स्लॉट में फुटवियर रखे जाने की व्यवस्था होनी चाहिए

कतार का प्रबंधन और परिसर में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दूरी पर विशिष्ट निशान लगाए जाने चाहिए

परिसर के बाहर और भीतर स्थित दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया आदि को हर समय सामाजिक दूरियों के मानदंडों का पालन करना होगा

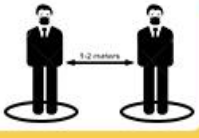

कतार का प्रबंधन और परिसर में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दूरी विशिष्ट निशान लगाए जाने चाहिए

आगंतुकों के लिए प्रवेश और निकास द्वार अलग-अलग बनाए जाने चाहिए

mygov
मेरी सरकार

कोविड-19 की रोकथाम हेतु धार्मिक स्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

(3/6)

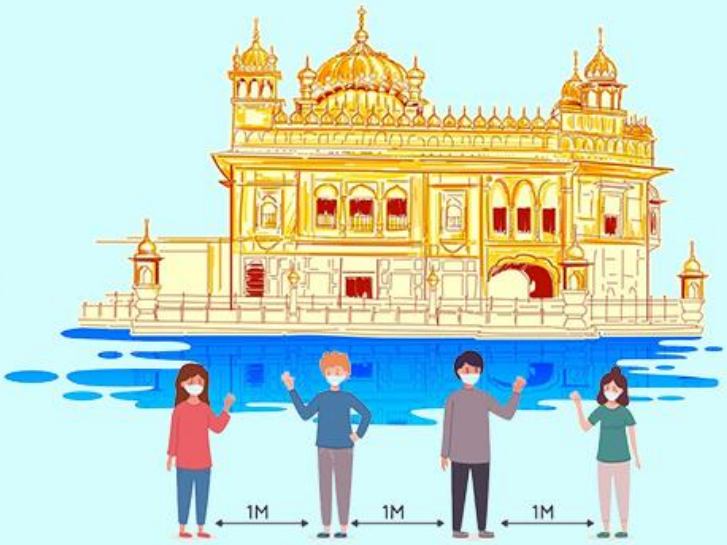

धार्मिक स्थलों पर बचाव के उपाय होंगे सुनिश्चित

प्रवेश के लिए कतार में 6 फीट की न्यूनतम दूरी रखनी चाहिए

परिसर में प्रवेश करने से पहले लोगों को अपने हाथ और पैर साबुन व पानी से धो लेने चाहिए

सामाजिक दूरियों के नियमों का पालन करते हुए बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए

एसी/वेंटिलेशन के लिए सीपीडब्ल्यूडी के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए- सभी एसी उपकरणों को 24-30 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा में, सापेक्ष आर्द्रता 40-70% की सीमा में चलाया जाना चाहिए। जितना संभव हो सके, ताजी हवा के साथ पर्याप्त क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए

mygov
मेरी सरकार

कोविड-19 की रोकथाम हेतु धार्मिक स्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

(4/6)

धार्मिक स्थलों पर बचाव के उपाय होंगे सुनिश्चित

- मूर्तियों/मूर्तियों/पवित्र पुस्तकों आदि को छूने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए
- बड़ी सभाएं/समागम पर प्रतिबंध रहेगा
- संक्रमण के फैलने के संभावित खतरे के मद्देनजर रिकॉर्ड किए गए भक्ति संगीत / गाने बजाए जा सकते हैं और गाना बजाने वालों / गायन समूहों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए
- एक दूसरे को अभिवादन करते वक्त शारीरिक संपर्क से बचें
- सामान्य प्रार्थना मैट से बचना चाहिए और भक्तों को प्रार्थना के लिए अपनी खुद की चटाई या दरी लानी चाहिए और उसे वापस ले जाना चाहिए
- प्रसाद / वितरण या पवित्र जल के छिड़काव आदि जैसे भौतिक प्रसाद के वितरण की अनुमति नहीं है

mygov
मेरी सरकार

कोविड-19 की रोकथाम हेतु धार्मिक स्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

(5/6)

धार्मिक स्थलों पर बचाव के उपाय होंगे सुनिश्चित

सामुदायिक रसोई / लंगर इत्यादि के लिए भोजन तैयार करते और वितरित करते समय शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए

परिसर के भीतर स्वच्छता का भरपूर ख्याल रखना चाहिए, विशेष रूप से शौचालय, हाथ-पैर धोने वाले क्षेत्रों पर ध्यान ध्यान दिया जाना चाहिए

धार्मिक स्थल के प्रबंधन द्वारा लगातार सफाई और फर्श के कीटाणुशोधन की व्यवस्था होनी चाहिए

परिसर को दिन में कई बार साफ किया जाना चाहिए

बचे हुए फेस कवर / मास्क / दस्ताने का उचित निपटान सुनिश्चित किया जाना चाहिए

mygov
मेरी सरकार

धार्मिक स्थलों में कोविड-19 की रोकथाम हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (6/6)

संक्रमित मामले की स्थिति में किए जाने वाले उपाय

- बीमार व्यक्ति को उस कमरे या एरिया में रखें जो कार्यस्थल पर दूसरों से अलग-थलग हों
- डॉक्टर द्वारा जांच किए जाने तक उसे मास्क/फेस कवर प्रदान करें
- तत्काल नजदीकी चिकित्सा सुविधा (अस्पताल/क्लिनिक) को जानकारी दें या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन पर कॉल करें
- जन स्वास्थ्य प्राधिकरण (जिला आरआरटी/चिकित्सक) द्वारा जोखिम का आकलन किया जाएगा और तदनुसार मामले के प्रबंधन, मरीज के संपर्कों और संक्रमण दूर करने की आवश्यकता के संबंध में सलाह दी जाएगी
- यदि व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो परिसर का कीटाणुशोधन सुनिश्चित किया जाना चाहिए